

न्यायालय डिवाजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू-अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ० राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 18/2022

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोंडेन्टस

पुष्पेन्द्र कंवर पत्नी गिरवरसिंह
निवासी उदेशी कुआं, तहसील
सोजत जिला पाली।

1. मनीष कुकलोत पुत्र राजेन्द्र
कुकलोत निवासी- रायपुर जिला
पाली।
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार
रायपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरुद्ध
आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर के द्वारा राजस्व वाद
संख्या 05/2017 मनीष कुकलोत बनात तहसीलदार रायपुर में
दिनांक 22.06.2017 को पारित किया गया।

उपस्थिति:—

1. श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 07 फरवरी, 2022

अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर के द्वारा
राजस्व वाद संख्या 05/2017 मनीष कुकलोत बनात तहसीलदार रायपुर में दिनांक
22.06.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष
दिनांक 27.01.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर
अपीलान्त के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को
दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पोंड संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के
समक्ष एक वाद पत्र धारा 188 राज० काश्तकारी अधिनियम व धारा 111, 128 राज०
भू राजस्व अधिनियम के तहत यह प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी की खेत
खसरा संख्या 1319/52 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा बीघा भूमि ग्राम मौजा रेलमगरा
में आई हुई है जिसके पडौंस खातेदार नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते हैं
इसलिये सीमांकन करवाया जावे।



Lilly
7/2/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

3. रेस्पोंड संख्या एक के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर उसे स्वीकार करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलार्थी आदेश दिनांक 22.06.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अपीलान्त द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
4. अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 111,128 राज० भू राजस्व के तहत जो आलौच्य आदेश पारित किया है वो प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है। अपीलान्त के कब्जाशुदा भूमि पर औद्योगिक पर्यटन इकाई व आवासीय प्रयोजन हो चुकी है एवं विभिन्न ख०सं० 1319/1618, 1319/26, 1319/1686, 1319/54, 1319/82, 1319/35, 1319/147, 1319/16, 1319/1693, 1319/156, 1319/154, 1319/164, 1319/148, 1319/31, 1319/151 के रूप में आई हुई है।
5. अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2019 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 की जानकारी दिनांक 10.11.2021 को अपीलान्त को तब हुई जब तहसीलदार रायपुर पाली के कार्यालय आदेश दिनांक 2.11.2021 के द्वारा उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 1319/1680 रकबा 15 बीघा भूमि पर जरिये सीमांकन पत्थरगढी करने हेतु टीम बनाई जाकर दिनांक 8.11.2021 को कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी रेस्पोंड संख्या एक के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 की जानकारी हुई।



6. अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि पूर्व में ख०सं० 1319/35 व ख०सं० 1319/1686 की तरमीम सही ढंग से नहीं होने बाबत महेन्द्र कुमार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 राज० भू राजस्व अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो राजस्व वाद संख्या 8/2016 बानवान महेन्द्रकुमार बनाम पुष्पेन्द्र कंवर वगैराह के नाम दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई करते हुए उक्त पर दिनांक 5.5.2017 को आदेश पारित किये जिसे पर तरमीम हो गई। उक्त आदेश को किसी भी व्यथित व्यक्ति ने चुनौती नहीं दी गई और वो आज दिन तक कायम रही है। जिसके पश्चात ख०सं० 1319/1688 की भूमि पर औद्योगिक, पर्यटन इकाई व आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाया जा चुका है। इसके ख०सं० 1319/52 के पडौस में ही लगते हुए अपीलान्त के उल्लेखित खातेदारी रूपान्तरित

[Handwritten signature]
7/21/2022

शुदा भूमियाँ आई हुई हैं। इसलिये खऽसं० 1319/52 की भूमि के पैमाइश इत्यादि के बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है तो उससे पूर्व अपीलान्त को भी कानूनन आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई किये जाने के बाद भी ही किसी प्रकार कोई आदेश पारित किया जा सकता है। परन्तु रेस्पों० संख्या एक ने अपने अपीलाधीन प्रार्थना पत्र में उन्हें किसी प्रकार से कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध होने, एकपक्षीय होने व आवश्यक पक्षकार बनाये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे भी उसके प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अधिकारों का हनन होता है।

7. अपीलान्त के अधिवक्ता ने अन्त में यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलान्त की अपील स्वीकार की जावे एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2017 को निरस्त किया जावे।
8. हमने अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्त ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि रेस्पों० संख्या एक के द्वारा अपनी खातेदारी वाले खेत खसरा संख्या 1319/52 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा बीघा भूमि जो ग्राम मौजा रेलमगरा में आई हुई है जिसके पडौस खातेदार नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते हैं इसलिये सीमांकन करवाया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार सीमांकन शुल्क प्राप्त कर बाद सीमांकन पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये हैं।
9. रेस्पों० संख्या एक के उक्त खसरा भूमि के पडौस में ही आई हुई खसरान भूमि की वह खातेदार (अपीलान्त) है, जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें भी सुनवाई एवं पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये था।
10. हरेक न्यायालय की मंशा यह रहनी चाहिये कि न्यायालयों के प्रकरणों का निस्तारण अवश्य हो, उसके साथ ही प्रकरण में न्याय होते हुए भी दिखना चाहिये एवं किसी पक्षकार के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का हनन भी नहीं हो। ऐसे में



LJH
24/2/2022


राजस्व अपील संख्या 18/2022
श्रीमती पुष्पेन्द्रकंवर बनाम मनीष कुकलोट

राजस्व अपील संख्या 18/2022 श्रीश्रीती पुष्पेन्द्रकंवर बनाम मनीष कुकलोट

उपरोक्त सभी आब्जर्वेशनों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की उपस्थिती में मौके की रिपोर्ट तथा अपीलार्थी को अपना सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, रायपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रायपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त आब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में सभी पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। रिमाण्ड प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति भी बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 07 फरवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।




(डॉ० राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर